राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 2 अंक 319

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 27 अप्रैल 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

दलेर मेहंदी के रूप में एक और सितारा भाजपा में

>> 5

महासमर 2019

- वाराणसी से चुनाव न लड़ने का फैसला प्रियंका का : सैम पित्रोदा ● पेज 5
- पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर नियंत्रण मेरी बड़ी उपलब्धि : राजनाथ ● पेज 6
- मोदी के नाम की टी शर्ट पहन कर लगाए राहुल गांधी के बैनर ● पेज 6
- बिहार में राहुल का नया नारा- सब धोखा है, मोदी ने आपको लूटा है ● पेज 7

विश्वास. News

आइपीएल को सियासत से जोड़ने वाली फर्जी पोस्ट ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल ● पेज 6

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

नीरव मोदी की जमानत अर्जी फिर खारिज हुई

लंदन, प्रेट्र : पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले और मनी लांड्रिंग (धनशोधन) मामले के आरोपित नीरव मोदी को फिर झटका लगा है। ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज करते हुए रिमांड की अवधि 24 मई तक के लिए बढ़ा दी। नीरव इस मामले में प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटेन में सुनवाई का सामना कर रहा है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 10

आइएनएस विक्रमादित्य पर लगी आग, नौसेना अफसर की मौत

नई दिल्ली : देश के सबसे बड़े विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रमादित्य पर शुक्रवार को आग लग गई, जिसे बुझाने के दौरान नौसेना के एक अफसर की मौत हो गई। आग उस वक्त लगी जब पोत कर्नाटक के कारवाड़ बंदरगाह पहुंच रहा था। पोत के चालक दल ने उसकी लड़ाकू क्षमता प्रभावित करने वाली किसी भी गंभीर क्षति को रोकने के लिए कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

स्पोर्ट्स ▶ पृष्ठ 12

एशियाई मुक्केबाजी में अमित पंघाल व पूजा रानी को स्वर्ण

बैंकॉक : एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल और महिला खिलाड़ी पूजा रानी ने यहां जारी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शुक्रवार को स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत ने चैंपियनशिप में दो स्वर्ण, चार रजत और सात कांस्य समेत कुल 13 पदक जीते हैं। पुरुषों के हिस्से एक स्वर्ण, तीन रजत और तीन कांस्य पदक आए हैं, जबकि महिलाओं के हिस्से एक स्वर्ण, एक रजत और चार कांस्य पदक आए।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

पहला रोबोट बनाने वाले विज्ञानी निल्स निल्सन का निधन

वाशिंगटन : अमेरिका के मशहूर कंप्यूटर वैज्ञानिक निल्स जॉन निल्सन का रविवार को ओरेगन स्थित आवास में निधन हो गया। वह 86 साल के थे। दुनिया का पहला रोबोट और मशीन को दिमाग देने की तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस विकसित करने में उनका अहम योगदान था। इसके अलावा उन्होंने रोबोटिक्स और न्यूरल नेटवर्क के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण शोध किए थे।

सन बरसे
राजस्थान रॉयल्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
रात 8:00 बजे से
स्थान : जयपुर
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

नाकारा आइएएस अफसरों पर लटकी तलवार

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर बोझ बन चुके सरकारी अधिकारियों की पहचान करने और उनसे छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के 1,100 से ज्यादा अधिकारियों के सर्विस रिकार्ड की समीक्षा की है। जिन अधिकारियों ने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उनकी कड़े मापदड़ों पर केंद्र ने समीक्षा कराई है। अखिल भारतीय सेवाओं के रूल नंबर 16 (3) (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) के नियम, 1958 के तहत 2015 से 2018 के बीच सही तरह से कामकाज नहीं करने वाले अफसरों की जांच करने के लिए कुल 1,143 आइएएस अफसरों के सेवा रिकार्ड की समीक्षा की गई है।

- **केंद्र सरकार ने 1100 से ज्यादा अफसरों का परखा सेवा रिकार्ड**
- **राज्य के परामर्श के बाद अधिकारी को सेवानिवृत्ति दी जा सकती है**

अखिल भारतीय सेवाओं के नियमों के मुताबिक, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार किसी भी आइएएस अधिकारी को लिखित रूप में कम से कम तीन महीने पूर्व नोटिस या तीन महीने के वेतन और ऐसे नोटिस के बदले भत्ते देकर सार्वजनिक हित में सेवानिवृत्त होने को कह सकती है। कुल 1,143 अधिकारियों में से छत्तीसगढ़ कैडर के दो से चार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों (या एजीएमयूटी कैडर) और बिहार कैडर से एक-एक अधिकारी को जनहित में समय से पहले सेवानिवृत्ति की सिफारिश की गई है। हालांकि, उन अफसरों के नाम उजागर नहीं किए गए हैं।

केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग के आंकड़ों के अनुसार, फौलादी इरादों वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5,104 आइएएस अफसर देश भर में काम कर रहे हैं। ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने केंद्र सरकार की ओर से याद दिलाने के बावजूद अपने यहां तैनात अफसरों के कार्य की समीक्षा नहीं की है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड के राज्यों ने 25 साल की सेवा के संबंध में अधिकारियों के रिकार्ड की गहन समीक्षा नहीं की है।

दैनिक जागरण लगातार नंबर 1

आइआरएस सर्वे : 7 करोड़ 36 लाख से अधिक पाठक संख्या

नई दिल्ली, जेएनएन: इंडियन रीडरशिप सर्वे (आइआरएस) 2019 की पहली तिमाही के नतीजों में दैनिक जागरण की बादशाहत बरकरार है। इंडियन रीडरशिप सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दैनिक जागरण के 7 करोड़ 36 लाख 73 हजार पाठक हैं, जो किसी भी भाषा में निकलने वाले समाचार पत्रों की पाठक संख्या में शीर्ष पर है।

इंडियन रीडरशिप सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं कि दैनिक जागरण को पाठकों का मिलने वाला प्यार लगातार बढ़ रहा है और नए पाठकों की संख्या भी बढ़ रही है। 2017 के सर्वे की तुलना में इस वर्ष की पहली तिमाही के सर्वे में दैनिक जागरण से 32 लाख 96 हजार नए पाठक जुड़े हैं। देशभर के दस

दैनिक जागरण

- **इंडियन रीडरशिप सर्वे के 2019 की पहली तिमाही का नतीजा**
- **पिछली बार की तुलना में 32.96 लाख नए पाठक जुड़े**

अग्रणी हिंदी प्रकाशनों की कुल पाठक संख्या 18 करोड़ 30 लाख 3 हजार है, जिसमें दैनिक जागरण की हिस्सेदारी करीब 40 फीसद है। हिंदी की पाठक संख्या के लिहाज से दूसरे पायदान पर जो अखबार है, उसके पाठकों की संख्या दैनिक जागरण से 2 करोड़ 22 लाख 68 हजार कम है। इससे साबित होता है कि दैनिक जागरण हिंदी की दुनिया का सिरमौर है और पाठकों के बीच इसकी जबरदस्त स्वीकार्यता है।

इंडियन रीडरशिप सर्वे दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है। यह देश के 29 राज्यों के पाठकों के बीच किया गया है। इसमें पांच लाख से अधिक आबादी वाले 95 शहरों, 91 जिलों व 101 जिला समूहों को शामिल किया गया है। एक खास बात और उभर कर सामने आई है। 2017 के सर्वे की तुलना में इस बार प्रिंट के पाठकों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख बढ़ी है। इस सर्वे को मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल व नीलसन की टीम मिलकर तैयार करती है।

मुश्किल में माया ▶ सौदों में धांधली पर सीबीआइ की कार्रवाई

बसपा शासन में बिकीं चीनी मिलों के मामले में केस दर्ज

21 मिलों को औने-पौने दामों में बेचकर 1100 करोड़ के घोटाले का है आरोप

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

कई बड़े होंगे निशाने पर

चीनी मिल घोटाले में तत्कालीन कई नेता व अफसर जांच के घेरे में होंगे। मिलों की बिक्री की प्रकिया में सीधे तौर पर शामिल रहे नेता व अधिकारियों पर सीबीआइ का शिकंजा जल्द कसेगा। बताया गया कि सीबीआइ जांच की आंच कई आइएएस अधिकारियों तक पहुंचेगी।

उत्तर प्रदेश में गोमती रिवर फ्रंट और खनन घोटाले के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने बसपा शासनकाल में करोड़ों के चीनी मिल घोटाले में सात नामजद आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआइ जांच से बसपा सुप्रीमो मायावती और तत्कालीन कई मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 अप्रैल 2018 को चीनी मिल घोटाले की सीबीआइ जांच की सिफारिश की थी। बसपा सरकार में 21 सरकारी चीनी मिलों को औने-पौने दामों में बेचकर 1100 करोड़ रुपये का घोटाला किए जाने का आरोप है। चीनी निगम की 10 संचालित और 11 बंद पड़ी मिलों को 2010-2011 में बेच दिया गया था।

सीबीआइ लखनऊ की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एंटी करप्शन ब्रांच) ने चीनी मिल बिक्री घोटाले में लखनऊ के गोमतीनगर थाने में सात नवंबर 2017 को दर्ज कराई गई एफआइआर को अपने केस का आधार बनाया है। सात चीनी मिलों में हुई धांधली में सीबीआइ ने धोखाधड़ी व कंपनी अधिनियम समेत अन्य धाराओं में नियमित (रेगुलर) केस दर्ज किया है, जबकि 14 चीनी मिलों में हुई धांधली को लेकर छह प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की गई हैं।

उल्लेखनीय है कि बसपा के कार्यकाल में औने-पौने दामों में सरकारी चीनी मिलों को बेंचा गया था। सीबीआइ पहले से ही इस घोटाले के तार ढूंढ रही थी। वहीं राज्य सरकार ने सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन आर्गनाईजेशन (एसएफआइओ) से मामले की जांच कराई थी। जिसके बाद राज्य चीनी निगम के प्रबंध निदेशक की ओर से गोमतीनगर थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें दंपती समेत सात लोगों को फर्जी दस्तावेजों के जरिये राज्य की सात चीनी मिलें खरीदने का आरोपित बनाया गया था। सीबीआइ ने अपने केस में दिल्ली निवासी राकेश शर्मा, उनकी पत्नी सुमन शर्मा के अतिरिक्त पांच अन्य को आरोपित बनाया है। बताया गया कि चीनी निगम की 21 चीनी मिलों को 2010-11 में बेचा गया था। इस दौरान नम्रता मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने देवरिया, बरेली, लक्ष्मीगंज (कुशीनगर) व हरदोई इकाई की मिलें खरीदने के लिए 11 अक्टूबर 2010 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कम रिक्वेस्ट फॉर क्वालीफिकेशन प्रस्तुत किये थे। यही प्रकिया गिरियाशो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने भी अपनाई थी। नियमों को दरकिनार कर समिति ने दोनों कंपनियों को नीलामी प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य घोषित कर दिया था। दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट व अन्य प्रपत्रों में भारी अनियमितता थी।

मुंबई के खुले मैनहोल में गिरे प्रसिद्ध फंड मैनेजर समीर अरोड़ा

मुंबई, प्रेट्र : हीलिओस कैपिटल के संस्थापक और प्रसिद्ध फंड मैनेजर समीर अरोड़ा गुरुवार को लोअर परेल स्थित फीनिक्स मिल मॉल के पास खुले मैनहोल में गिर गए। घटनाक्रम की जानकारी उन्होंने शुक्रवार को कई ट्वीट के माध्यम से स्वयं दी। अपने ट्वीट में उन्होंने मशहूर गायक मोहम्मद रफी के गाने 'ये है बांबे मेरी जान' का जिक्र करते हुए कहा है कि पूरा शहर उनकी जान लेने पर तुला है।

समीर ने कहा कि वह सीने के बल मैनहोल में गिरे। कुछ क्षणों के लिए उनके सामने अंधेरा छा गया। हालांकि तत्काल दिखाई गई चुस्ती-फुर्ती और खुले मैनहोल के आकार के चलते उनको नया जीवनदान मिल गया। उन्होंने कहा, इस दौरान उन्हें खरोंचें आई हैं। हालांकि इंजेक्शन लेने के बाद अब मैं पूरी तरह ठीक हूं। बता दें कि 2017 में शहर में बाढ़ आई थी। उस दौरान मैनहोल में गिरकर 59 वर्षीय डॉक्टर दीपक अमरापुरकर की मौत हो गई थी। उनका शव दो दिन बाद मिला था। नगरीय निकाय द्वारा घटनास्थल के संबंध में संदेह जताए जाने के बाद अरोड़ा ने शुक्रवार शाम फिर से ट्वीट किया और वह जगह बताई जहां पर घटना हुई थी। बता दें कि लोअर परेल में स्थित कपड़ा फैक्ट्री बंद होने के बाद 1980 में यहां पर मॉल बनाया गया था। वर्तमान में यहां पर एक पांच सितारा होटल, एक मॉल और हाई स्ट्रीट ब्रांड से जुड़ा एक अन्य मॉल है।

सीजेआइ पर आरोप लगाने वाली महिला जांच कमेटी के समक्ष पेश हुई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **सीजेआइ के खिलाफ लगाया है अमर्यादित आचरण का आरोप**
- **न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय आंतरिक जांच कमेटी ने शुरू की सुनवाई**

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) रंजन गोगोई पर अमर्यादित आचरण का आरोप लगाने वाली सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व कर्मचारी शुक्रवार को आंतरिक जांच कमेटी के समक्ष पेश हुई। सीजेआइ पर लगे आरोपों की जांच के लिए न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय आंतरिक जांच समिति (कमेटी) गठित की गई है। शुक्रवार को कमेटी ने पहली सुनवाई की।

सर्वोच्च न्यायालय के अतिथि गृह (गेस्ट हाउस) में सुनवाई बंद कमरे में हुई (इन चैम्बर)। वहीं पर शिकायतकर्ता महिला पेश हुई। सुप्रीम कोर्ट के महासचिव भी सभी दस्तावेजों और सामग्रियों के साथ मौजूद रहे। वहां सुरक्षा और गोपनीयता के कड़े इंतजाम थे। सुनवाई दोपहर में शुरू हुई और तीन घंटे बाद करीब साढ़े तीन बजे समाप्त हुई। अगली सुनवाई की तारीख बात में पता चलेगी।

महिला ने कहा है कि जब वह प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) रंजन गोगोई के आवास में बने दफ्तर में काम करती थी तब पिछले वर्ष दो बार उसके साथ अमर्यादित व्यवहार हुआ। उसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में दो घटनाओं का जिक्र किया है। महिला ने यह भी कहा कि जब उसने अमर्यादित आचरण का विरोध किया तो उसे नौकरी से हटा दिया गया। उसने यह भी दावा किया कि उसके पति और देवर को भी 2012 के एक आपराधिक मामले में निलंबित कर दिया गया, जबकि, वह मामला आपसी सहमति से सुलझ गया था। महिला द्वारा लगाए गए इन्हीं आरोपों की जांच के लिए आंतरिक जांच कमेटी बनाई है।

महिला की ओर से प्रधान न्यायाधीश पर लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच कर रही आंतरिक जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे नंबर के वरिष्ठतम न्यायाधीश एसए बोबडे, और दो महिला न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा व इंद्रा बनर्जी शामिल हैं। पहले कमेटी में न्यायाधीश एनवी रमना शामिल थे लेकिन जस्टिस रमना ने गुरुवार को स्वयं को कमेटी से अलग कर लिया था।

काशी के 'कुरुक्षेत्र' में मोदी ने फिर ठोंकी ताल

आनन्द राय, वाराणसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अपनी दूसरी पारी के लिए शुक्रवार को काशी के 'कुरुक्षेत्र' में ताल ठोंक दी। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव से आशीर्वाद लेने के बाद मोदी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर 11 बजकर 55 मिनट पर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान विभिन्न राज्यों से आये एनडीए के घटक दलों के प्रमुखों की मौजूदगी से एकता का साफ संकेत दिया गया।

शुक्रवार सुबह मोदी अस्सी घाट गए। फिर काल भैरव मंदिर पहुंच कर दर्शन-पूजन किया। इधर कलेक्ट्रेट में उनके नामांकन के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह व महामंत्री भूपेंद्र यादव पहले ही पहुंच गए थे। एनडीए के घटक दलों के नेता प्रकाश सिंह बादल, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, राम विलास पासवान, अपना दल (एस) की अनुप्रिया पटेल बस से कलेक्ट्रेट पहुंचे तो शाह ने शाल देकर उन्हें सम्मानित किया। पासवान ने कहा 'मोदी हम सबके नेता हैं और हम लोग उनके पीछे चट्टान की तरह

वाराणसी में शुक्रवार को पर्चा दाखिल करने के मौके पर प्रस्तावक डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने ऐसा ही सम्मान अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल को भी दिया। जागरण

खड़े हैं।' इस बीच केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम आदि भी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कुर्ता-पायजामा और काले रंग की सदरी पहने मोदी सवा 11 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां योगी और भूपेंद्र यादव ने उनका स्वागत किया। कलेक्ट्रेट के स्वागत कक्ष में मोदी सहयोगी दलों के अध्यक्षों से मिले। शाह ने पीएम को अंगवस्त्र पहनाया तो राजनाथ ने गुलदस्ता दिया। 11 बजकर 40 मिनट पर मोदी नामांकन कक्ष के लिए निकले। मोदी ने नामांकन कक्ष में पहुंचते ही एक प्रस्तावक डाक्टर अन्नपूर्णा शुक्ला के पैर छुए। आशीर्वाद स्वरूप बुजुर्ग महिला ने उनके सिर पर हाथ फेरा। मोदी ने इससे पूर्व प्रकाश सिंह बादल के भी पैर छुए। उन्होंने पर्जा दाखिल करने से पहले शपथ ली। मोदी 2014 में काशी में नामांकन पत्र भरने आये थे तब वह सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस बार पीएम के रूप में आये। पिछली बार उन्होंने काशी के साथ गुजरात के वडोदरा से भी नामांकन भरा था। इस बार उन्हें काशी पर भरोसा था।

चुनाव तो जीत चुका, लोकतंत्र जीतना है : इसके पूर्व मोदी ने होटल डी-पेरिस में बूथ अध्यक्षों और प्रमुख कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा, 'कश्मीर से कन्या कुमारी तक, काशी से पोरबंदर तक उत्साह का माहौल है। देश में लोग कह रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार।' उन्होंने मतदान के सारे रिकार्ड तोड़ने की भी अपील की। (पेज-5 भी देखें)

कमेटी की सुनवाई के बाद होगी फिक्सिंग की जांच

माला दीक्षित, नई दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) रंजन गोगोई पर लगे अमर्यादित आचरण के आरोपों की जांच पूरी होने के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में बेंच फिक्सिंग के आरोपों की जांच शुरू होगी। कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश एके पटनायक को बेंच फिक्सिंग और सीजेआइ को फंसाने के पीछे बड़ी साजिश के आरोपों की जांच सौंपी है।

सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से उनका आदेश और वकील उत्सव बैंस का फिक्सिंग का आरोप लगाने वाला हलफनामा और अन्य सामग्री जस्टिस पटनायक को भेजने का आदेश दिया था। शुक्रवार को जस्टिस पटनायक ने दैनिक जागरण को बताया कि वह इस मामले की जांच प्रधान न्यायाधीश पर लगे अमर्यादित आचरण के आरोपों की आंतरिक जांच समिति द्वारा की जा रही जांच पूरी होने के बाद शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, दोनों जांच के बीच कोई टकराव न हो इसलिए वह उन्हें सौंपी गई जांच बाद में

करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जांच पूरी होने की कोई समयसीमा तय नहीं की है इसलिए वह बाद में जांच शुरू करेंगे।

वकील उत्सव बैंस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर आरोप लगाया था कि सीजेआइ को अमर्यादित आचरण के आरोपों में फंसाने के पीछे बड़ी साजिश है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के नौकरी से निकाले गए पूर्व कर्मचारी और बेंच फिक्सिंग में लगी कारपोरेट लाबी शामिल है।

सुप्रीम आदेश

आरटीआइ के तहत आरबीआइ दे सूचना, कई तर्कों की आड़ लेकर केंद्रीय बैंक अब तक इस तरह की सूचना देने से करता रहा है इन्कार, कोर्ट ने कहा, उसके पिछले आदेश को बैंक ने सही संदर्भ में नहीं किया लागू

आरबीआइ बताए कर्ज न लौटाने वालों के नाम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पिछले कई वर्षों से देश की अदालतों में इस बात को लेकर मामले चल रहे थे कि जो ग्राहक जान-बूझकर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाते हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाए या नहीं। अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) व वाणिज्यिक बैंक विभिन्न कायदा-कानूनों का हवाला देकर इन ग्राहकों के नाम जाहिर करने से बचते रहे हैं। अब शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है जिससे आने वाले दिनों में जान-बूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले ग्राहकों यानी विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम के जगजाहिर होने का रास्ता खुल जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि आरबीआइ की तरफ से बैंकों को लेकर जो सालाना जांच रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसे सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत सार्वजनिक करना होगा।

इस जांच रिपोर्ट में बैंकों के एनपीए ग्राहकों समेत उनकी तरफ से की जाने वाली तमाम गड़बड़ियां अब सार्वजनिक होंगी। कोर्ट ने आरबीआइ को इस बारे में कड़ी फटकार भी लगाई है कि उसकी तरफ से

पूर्व में दिए गए एक आदेश को उसने सही संदर्भ में लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख भाषा में कहा कि वह आरबीआइ को पारदर्शिता लाने का अंतिम मौका दे रहा है। अगर आगे उसके आदेश का उल्लंघन होता है तो उसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। इसके साथ ही आरबीआइ की उस नीति को निरस्त करने को कहा गया है जिसके तहत वह बैंकों से जुड़ी कई तरह की सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं करता।

एक याचिकाकर्ता ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सूचना अधिकार कानून के तहत अप्रैल, 2011 से दिसंबर, 2015 के दौरान आइसीआइसीआइ बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) और एचडीएफसी बैंक की सालाना जांच रिपोर्ट की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने आरबीआइ की तरफ से सहारा समूह में पाई गई गड़बड़ियों के बारे में भी सूचना मांगी थी। केंद्रीय बैंक ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता को सूचना देने से मना कर दिया था कि इस तरह की सूचनाओं को वह आरबीआइ कानून और आरटीआइ की धारा 8(1)ई के तहत देने को बाध्य नहीं है।

याचिककर्ता का कहना है कि इस तरह की सूचना आरबीआइ को देनी होगी और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है। इसके बावजूद जब आरबीआइ के रुख में कोई बदलाव नहीं आया याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि आरबीआइ का ध्यान पारदर्शिता पर होना चाहिए, न कि किसी बैंक की खास वित्तीय स्थिति को छिपाने पर। माना जा रहा है कि शुक्रवार के आदेश का व्यापक असर होगा। बैंकों के वित्तीय गड़बड़ियों और एनपीए से जुड़ी सूचनाओं को अब जनता के सामने लाना आसान होगा।

दुष्कर्म केस में आसाराम का बेटा भी दोषी करार

राज्य ब्यूरो/प्रेट्र, सूरत

- **30 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा, नारायण साई को हरियाणा में दिसंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया था**

गुजरात के सूरत जिले की अदालत ने आसाराम के बेटे नारायण साई को 2013 के दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने दो महिलाओं समेत साई के चार सहयोगियों को भी विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीएस गढवी 30 अप्रैल को सजा सुनाएंगे। इस जुर्म के लिए साई को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। ज्ञात हो दिसंबर 2013 में हरियाणा से गिरफ्तार किया गया साई लाजपोर जेल में बंद है। सूरत पुलिस ने 2014 में उसके खिलाफ 1100 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था।

न्यायाधीश पीएस गढवी ने नारायण साई की सहयोगी धर्मिष्ठा उर्फ गंगा, भावना उर्फ जमुना, सहायक पवन उर्फ हनुमान को साजिश का हिस्सेदार तथा उसके ड्राइवर राजकुमार उर्फ रमेश मल्होत्रा को अपराध रचने का दोषी करार दिया है। गढवी ने साधिका कही जाने वाली गंगा और जमुना को पीड़िता को जबरन बंधक बनाने, साई के कहने पर पीटने का दोषी ठहराया है।

नारायण साई

2013 में राजस्थान में एक लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में आसाराम की गिरफ्तारी के बाद सूरत निवासी दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साई पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। बड़ी बहन ने कहा था कि 1997 से 2006 के दौरान अहमदाबाद स्थित आश्रम में निवास के दौरान आसाराम ने उस पर यौन हमला किया था। छोटी बहन ने कहा था कि साई ने 2002 से 2005 के बीच सूरत के जहांगीरपुरा क्षेत्र में स्थित आश्रम में निवास के दौरान उस पर यौन हमला किया। पुलिस ने दावा किया था कि साई ने जेल में रहने के दौरान केस को कमजोर करने के लिए पुलिस अफसरों, डॉक्टरों व न्यायिक अधिकारियों को रिश्वत देने का प्रयास किया।

जोधपुर दुष्कर्म मामले में आसाराम को हो चुकी है सजा : जोधपुर की अदालत दुष्कर्म के मामले में आसाराम को दोषी ठहरा चुकी है। सूरत की महिला की ओर से दर्ज मामले की सुनवाई गांधीनगर कोर्ट में चल रही है।

तीन गवाहों की हो चुकी है हत्या: आसाराम और उसके बेटे की गिरफ्तारी के बाद गवाहों पर हमले शुरू हो गए। तीन गवाहों की हत्या कर दी गई। राजकोट के आयुर्वेदिक डॉक्टर अमृत प्रजापति को क्लीनिक के बाहर गोली मारी गई। आसाराम के रसोइये अखिल गुप्ता की उत्तर प्रदेश स्थित गृह नगर मुजफ्फरनगर में हत्या की गई। जोधपुर दुष्कर्म मामले के गवाह कृपाल सिंह की शाहजहांपुर में गोली मारकर हत्या की गई।